

तार का पता : "मिनीस्टील"  
Telegraphic Address : "MINISTEEL"



File No. 21014/1/2009-Admn(Gen)

स 0

No. \_\_\_\_\_

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
इस्पात मंत्रालय  
MINISTRY OF STEEL  
उद्योग भवन  
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107

New Delhi-110107

दिनांक: 23/6/2009

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

**विषय: इस्पात मंत्रालय में Comprehensive Annual Maintenance Contract for UPSs (all brands) and rate of maintenance free batteries of 7AH 12 volt के लिए मुहरबंद निविदाएं मंगवाने के संबंध में।**

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रालय एवं मंत्रियों एवं अधिकारियों के residential office पर installed सभी UPS के (विभिन्न ब्रांड) के लिए Comprehensive Annual Maintenance Contract एवं maintenance free batteries of 7AH 12 volt के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध हेतु मुहरबंद निविदाये आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। अगर आपकी फर्म इस कार्य के निष्पादन की इच्छुक है तो अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 7.7.2009 प्रातः 11 बजे तक अनुभाग अधिकारी, कमरा नं. 74, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेज दें। निविदाये आवेदक फर्मों के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 7.7.2009 को प्रातः 11.30 बजे खुलेगी। निविदा के साथ रु 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (वेतन एवं लेखा अधिकारी इस्पात मंत्रालय के नाम देय) संलग्न करना आवश्यक है। कृपया अपना PAN एवं TIN नंबर का उल्लेख अवश्य करें।

2. अधूरी निविदा अथवा रु 5000/- की जमानत राशि के बिना प्राप्त हुई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. यह नोटिस इस्पात मंत्रालय की web-site www.steel.nic. पर भी उपलब्ध है।

4. इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(एस. पी. त्यागी)

अनुभाग अधिकारी

दूरभाष: 23062537

✓ (प्रति: NIC को website पर डालने के लिए)

इस्पात मंत्रालय में यूपीएस के वार्षिक अनुरक्षण ठेके की निबंधन एवं शर्तें

1. शिकायतों का निपटारा तुरंत और 24 घंटे के अंदर होना चाहिए अन्यथा दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. एक रैजिडेण्ट अटेंडेण्ट इस्पात मंत्रालय में तैनात होना चाहिए।
3. यूपीएस की बैटरी आईएसएस मार्क/अंतर्राष्ट्रीय साख की होनी चाहिए।
4. इन-हाऊस मरम्मत इत्यादि करनी होगी।
5. यदि निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा तो ठेके को अवधि समाप्त होने से पहले निरस्त किया जा सकता है।
6. ठेके को अंतिम रूप देने के पश्चात कंपनी को कुल एएमसी की 10% राशि निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करनी होगी।